M.P. HIGHER JUDICIAL SERVICE MAIN EXAMINATION-2017

अनुक्रमांक/Roll No. | | | | |

कुल प्रश्नों की संख्या : 4
Total No. of Questions : 4

मुद्रित पृष्ठों की संख्या : 26
No. of Printed Pages : 26

Fourth Paper
prFk i'u&i=
JUDGMENT WRITING
fu.k; y[ku

समय – 3:00 घण्टे
Time – 3:00 Hours

पूर्णांक – 100
Maximum Marks - 100

funs'k %&
Instructions :-

1. All questions are compulsory. Answer to all the Questions must be given in one language either in Hindi or in English. In case of any ambiguity between English and Hindi version of the question, the English version shall prevail.
सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। सभी प्रश्नों के उत्तर हिन्दी अथवा अंग्रेजी एक भाषा में ही देने हैं। यदि किसी प्रश्न के अंग्रेजी और हिन्दी पाठ के बीच कोई संदिग्धता है, तो अंग्रेजी पाठ मान्य होगा।

.2. Write your Roll No. in the space provided on the first page of Answer-Book or Supplementary Sheet. Writing of his/her own Name or Roll No. or any mark of identification in any form or any Number or Name or Mark, by which the Answer Book of a candidate may be distinguished/ identified from others, in any place of the Answer Book not provided for, is strictly prohibited and shall, in addition to other grounds, entail cancellation of his/her candidature.
उत्तर पुस्तिका अथवा अनुपूरक शीट के प्रथम पृष्ठ पर निर्दिष्ट स्थान पर ही अनुक्रमांक अंकित करें। उत्तर पुस्तिका में निर्दिष्ट स्थान के अतिरिक्त किसी स्थान पर अपना नाम या अनुक्रमांक अथवा कोई क्रमांक या पहचान का कोई निशान अंकित करना जिससे कि परीक्षार्थी की उत्तर पुस्तिका को अन्य उत्तर पुस्तिकाओं से अलग पहचाना जा सके, सर्वथा प्रतिषिद्ध है और अन्य आधारों के अतिरिक्त, उसकी अभ्यर्थिता निरस्त किये जाने का आधार होगा।

3. Writing of all answers must be clear & legible. If the writing of Answer Book written by any candidate is not clear or is illegible in view of Valuer/Valuers then the valuation of such Answer Book may not be considered.
सभी उत्तरों की लिखावट स्पष्ट और पठनीय होना आवश्यक है। किसी परीक्षार्थी के द्वारा लिखी गई उत्तर–पुस्तिका की लिखावट यदि मूल्यांकनकर्त्ता/मूल्यांकनकर्त्तागण के मत में अस्पष्ट या अपठनीय होगी तो उसका मूल्यांकन नहीं किया जा सकेगा।

P.T.O.

SETTLEMENT OF ISSUES

Q.1 Settle the issues on the basis of the pleadings given hereunder - 10 Marks

***PLAINTIFF'S PLEADINGS* –**

Plaintiff Mrs. Kusumlata Bai filed a suit against her mother defendant, No. 1 Smt. Kasturi Bai, her sister Defendant No. 2, Smt Durgabai, and defendant No. 3 and 4 who are the sons of her late sister Smt. Geeta Bai, for the partition of disputed property, separate possession and permanent injunction. It has been pleaded that the suit property was purchased by late shri Pohap Singh, the father of the plaintiff. He was an employee of Standard Mill Balgarh, Dewas. He had purchased the disputed property from his self-earned income on 30.05.75, in the name of his wife defendent No. 1 Mrs. Kasturi Bai. The father of the plaintiff was very much concerned about his wife because she was having no male child. He had purchased the property to provide financial security for her future life. Therefore the property was purchased in her name. When the property was purchased, Mrs. Kasturi Bai did not have any source of income. Since the disputed property was purchased by plaintiff 's father in the name of the Defendant No. 1 from his own income, therefore, being a daughter, the plaintiff is having 1/4 share in the disputed property.

***DEFENDANT'S PLEADINGS* –**

The defendant no. 2 to 4 have not contested the case and have filed their written statement in favour of the plaintiff.

Plaintiff 's suit has been largely opposed by the Defendant No. 1 Mrs. Kasturi Bai. She has opposed all the averments stated in the plaint and pleaded that the disputed property was purchased by her own personal income. She was doing the business of teaching, sewing, embroidery and boutique and was also running a beauty parlor. By the income of these businesses the suit property was purchased. In purchasing the suit property her husband neither contributed in any manner, nor it was purchased from the income of her husband. Since she has purchased the said property from her own income, therefore she is the sole owner of the property and her daughters are having no right and title over the property and they

have no right to get partition in their favor. In addition to the above, it has further been pleaded in the written statement that the suit of the plaintiff is not maintainable, as per the provisions of Section 3(1) and Section 4(1) of the provisions of the Benami Transaction (Prohibition) Act, 1988. After promulgation of the said Act in the year 1988, no person can claim his rights in the property purchased in the name of another person. The disputed property was purchased in the year 1975, the suit filed in the year 2013, is also time barred.

fuEufyf[kr vfHkopuk d vk/kkj ij fook|d fojfpr dh ft ;A

oknh d vfHkopu &

वादिया श्रीमती कुसुमलता बाई ने वादग्रस्त संपत्ति के विभाजन, पृथक कब्जा और स्थायी निषेधाज्ञा हेतु अपनी माँ प्रतिवादी क्र0 1 श्रीमती कस्तूरीबाई, अपनी बहन प्रतिवादी क्र0 2 श्रीमती दुर्गाबाई तथा प्रतिवादी क्र0 3 एवं 4 जो कि उसकी स्वर्गीय बहन गीताबाई के पुत्रगण हैं के विरूद्ध प्रस्तुत कर अभिवचनित किया है कि वादग्रस्त संपत्ति वादीया के पिता स्व0 पोहपसिंह द्वारा क्रय की गयी थी। स्व0 पोहपसिंह स्टेण्डर्ड मिल बालगढ, देवास में कर्मचारी थे। उन्होंने अपनी स्व–अर्जित आय से, वादग्रस्त संपत्ति अपनी पत्नी प्रतिवादी क्र0 1 श्रीमती कस्तूरीबाई के नाम पर दिनांक 30.05.75 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय विलेख क्रय किया था। वादिया का पिता उसके पुत्र न होने के कारण अपनी पत्नी की बहुत चिन्ता करता था व उसके भावी जीवन को आर्थिक रूप से सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से उसने उक्त संपत्ति अपनी पत्नी के नाम पर क्रय की थी। जब संपत्ति क्रय की गयी तब श्रीमती कस्तूरीबाई की अपनी कोई स्वतंत्र आय नहीं थी। चूंकि वादग्रस्त संपत्ति को वादिया के पिता ने अपनी स्वयं की आय से प्रतिवादी क्र0 1 श्रीमती कस्तूरीबाई के नाम पर क्रय किया था, इसलिए पुत्री होने के नाते उसमें वादिया का 1/4 हक व हिस्सा है।

ifroknh d vfHkopu &

वादिया के इन अभिवचनों का प्रतिवादी क्र0 2 लगायत 4 ने कोई विरोध नहीं किया व उन्होंने वादिया के पक्ष में अपना वादोत्तर पेश किया है।

वादिया के दावे का विरोध प्रमुख रूप से प्रतिवादी क्र0 1 श्रीमती कस्तूरीबाई ने किया है। उसकी ओर से प्रस्तुत वादोत्तर में वादपत्र में किये गए समस्त अभिवचनों को सारभूत रूप से अस्वीकार किया गया है। वादोत्तर में आगे यह अभिवचन और किये गए हैं कि प्रतिवादी क्र0 1 सिलाई कढ़ाई सिखाने का व बुटिक का व्यवसाय करती थी वह ब्यूटी पार्लर भी चलाती थी, उसकी अपनी स्वतंत्र आय थी। उसने अपने स्वयं के व्यवसाय से प्राप्त आय से विवादित संपत्ति को क्रय किया था। उक्त संपत्ति क्रय करने में उसके पति का आर्थिक रूप से कोई योगदान नहीं था। चूंकि उसने अपनी स्वयं की आय से उक्त संपत्ति क्रय किया है, इसलिए वह उसकी एकल स्वामिनी है व उसमें उसकी पुत्रियों का कोई हक व हिस्सा नहीं है, वादिया विभाजन करा पाने की अधिकारिणी नहीं है। उपरोक्त के अतिरिक्त जवाब दावा में यह विशिष्ट अभिवचन और किये गए हैं कि दावा धारा 3 (1) एवं धारा 4 (1) बेनामी संव्यवहार (प्रतिषेध) अधिनियम,

1988 के प्रावधानों से भी बाधित होने से प्रचलन योग्य नहीं है क्योंकि सन् 1988 में उक्त अधिनियम के प्रभावशील होने के पश्चात् किसी दूसरे व्यक्ति के नाम पर क्रय की गयी संपत्ति में कोई व्यक्ति अपने हक का दावा नहीं कर सकता। वादग्रस्त संपत्ति सन् 1975 में प्रतिवादी क्र0 1 के नाम पर जरिये रजिस्टर्ड बैनामा क्रय की गयी थी, वादिया द्वारा सन् 2013 में प्रस्तुत किया गया वाद समयावधि बाधित भी है।

FRAMING OF CHARGES

Q.2 Frame a charge/charges on the basis of allegations given here under - - 10 Marks

PROSECUTION CASE / ALLEGATIONS

1. On 5.6.2003, Trambak and all his family members as well as the guest Bharat More were chitchatting after dinner and at about 10.30 p.m. seven to eight unknown persons entered his hut and all of them were wearing banyan and half pant and they started threatening the family members. They demanded money as well as ornaments and Trambak took out Rs. 3,000 from his pocket and handed over to one of them. Some of the gang members forcibly took away the mangalsutra as well as ear-tops from the person of Vimlabai, ear-tops from the person of Savita and silver rings which were around her feet. From the person of Manoj, they removed a silver chain and a wrist watch. Thereafter they went out of the hut and consumed liquor. After some time they re-entered the hut with weapons like knife, axe handle, sickle, spade with handle and yokpin etc., to rob the house members and collect more money and ornaments etc. They started beating the family members and Trambak was the first person who received assault. Sandeep and other members of the family told the dacoits to take away whatever they could collect from the house, but no family members should be assaulted. At this stage Sandeep was assaulted and so also Shrikant alias Bhurya, Bharat and Manoj. The dacoits did not spare Vimlabai as well. They tied hands and legs of all the family members except Manoj and Vimlabai. As a result of assault Manoj, Trambak, Sandeep, Shrikant and Bharat became unconscious. Three of the dacoits dragged Savita out of the hut and took her to the guava garden. Two of the dacoits then picked up Vimlabai and dragged her towards the well. One of them raped her near the well and then she was taken to the guava garden where Savita was taken. Vimlabai was assaulted and brought back to the hut. After some time, the three dacoits

brought Savita back in naked condition and with injuries on her body.

2. When the dacoits had entered the hut at about 10.30 p.m. the light bulb in the hut was burning and T.V. was on. The dacoits increased the volume of the tape recorder and after they dropped Savita in the hut, they put on shoes and started walking on the persons lying injured and they thought that all of them were dead. Vimlabai (p.w. 8) lost her consciousness around 12 O'clock in the night and till then the dacoits were present in the hut and they left the hut under the belief that all of the victims were dead. However, Manoj (p.w. 1) and his mother Vimalabai (p.w. 8) survived. They are the eye-witnesses to the prosecution case. On the basis of information, F.I.R. was registered.

fuEufyf[kr vfHkdFkuk d vk/kkj ij vkjki fojfpr dh ft;A

vfHk;kstu dk i:dj.k@vfHkdFku &

1. त्रैम्बक और उसके परिवार के सभी सदस्य तथा अतिथि भरत मोरे 5.6.2003 को रात्रि का भोजन करने के पश्चात् गपशप कर रहे थे और लगभग 10.30 बजे रात्रि में सात से आठ अज्ञात व्यक्तियों ने उसकी झोपड़ी में प्रवेश किया, उनमें से सभी बनियान तथा हाफ पैण्ट पहने हुये थे और वे परिवार के सदस्यों को धमकाने लगे थे। उन्होंने धन तथा आभूषणों की मांग की, त्रैम्बक ने अपनी जेब से 3000 रूपये निकाले और उनमें से एक को उन्हें सौंप दिया था। गिरोह के कुछ सदस्य बलपूर्वक विमलाबाई के शरीर से मंगलसूत्र तथा कर्णफूल और डोरले, सविता के शरीर से कर्णफूल और चांदी के छल्ला, जो उसके पैरों में पड़े हुये थे, ले लिये थे। मनोज के शरीर से उन्होंने चांदी की जंजीर और कलाई घड़ी ले ली थी। इसके पश्चात वे लोग झोपड़ी से बाहर चले गये और मदिरा पान किया। कुछ समय पश्चात् उन्होंने पुनः झोपड़ी में चाकू, कुल्हाड़ी के बेंट, हंसिया, बेंट सहित फावड़ा और योकपीन जैसे हथियारों के साथ घर के सदस्यों को लूटने और उनसे अधिक धन तथा आभूषण इत्यादि को एकत्रित करने के लिये प्रवेश किया था। वे लोग पारिवारिक सदस्यों को मारने पीटने लगे थे और त्रैम्बक वह पहला व्यक्ति था, जिस पर प्रहार हुआ। संदीप एवं अन्य पारिवारिक सदस्यों ने डकैतों से कहा कि वे, जो कुछ घर से एकत्रित कर सकें, वह ले जायें, किन्तु उन्हें चाहिये कि वे पारिवारिक सदस्यों पर प्रहार न करें। इस प्रक्रम पर संदीप पर और श्रीकांत उर्फ भूर्या, भरत तथा मनोज पर भी प्रहार किया गया था। डकैतों ने विमलाबाई तक को भी नहीं छोड़ा। उन्होंने मनोज एवं विमलाबाई के सिवाय परिवार के सभी सदस्यों के हाथ–पैर बांध दिये थे। प्रहार के परिणामस्वरूप मनोज, त्रैम्बक, संदीप, श्रीकान्त और भरत अचेत हो गये थे। तीन डकैत सविता को झोपड़ी से बाहर घसीटे और उसे अमरूद के बाग में ले गये थे। इसके पश्चात उनमें से दो डकैतों ने विमलाबाई को घसीटा और उसे कुएं की ओर ले गये थे। उनमें से एक ने कुएं के नजदीक उसके साथ बलात्संग किया और इसके पश्चात् उसे उसी अमरूद के बाग में ले जाया गया, जहाँ सविता को ले जाया गया था। विमलाबाई पर वहां प्रहार किया गया और वापस कुटिया में ले आया गया था।

कुछ समय पश्चात तीन डकैत सविता को वापस नग्न स्थिति में और उसके शरीर पर हुई उपहति के साथ वापस ले आये।

2. जब डकैतों ने लगभग 10.30 बजे अपरान्ह झोपड़ी में प्रवेश किया, तब झोपड़ी में उस समय प्रकाश–बल्ब जल रहा था और टी.वी. चल रही थी। डकैतों ने टेप रिकार्डर की आवाज बढ़ा दी थी और उन्होंने झोपड़ी में सविता को पहुँचाने के बाद जूते पहने तथा उपहत पड़े व्यक्तियों को कुचलने लगे और उन्होंने सोचा कि उनमें से सभी की मृत्यु हो गयी है। विमलाबाई (अ.सा. 8) रात्रि में लगभग 12 बजे अचेत हो गयी थी और तब तक डकैत झोपड़ी में उपस्थित थे और उन्होंने इस विश्वास के अधीन झोपड़ी से प्रस्थान किया था कि पीड़ितों में से सभी की मृत्यु हो गयी थी। लेकिन मनोज (अ.सा. 1) और उसकी माता विमलाबाई (अ.सा. 8) जीवित बने रहे। वे ही अभियोजन मामले के प्रत्यक्षदर्शी साक्षी हैं। सूचना के आधार पर, प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध की गई ।

JUDGMENT WRITING (CIVIL)

Q.3 Write a judgment on the basis of pleadings and evidence given hereunder after framing necessary issues and analyzing the evidence, keeping in mind the provisions of relevant Law/Acts :-

- 40 Marks

***Plaintiff's Pleadings* :-**

The plaintiffs filed the present suit for recovery of possession, mesne profits and permanent injunction on 05.10.2011, on a set of facts that they are the owners of house bearing no. B-30D, Gangotri Enclave, Alaknanda, New Delhi (hereinafter referred to as "the suit property"), comprising of two rooms on the third floor and two rooms and store on the roof of the third floor and a scooter garage as the suit property was allotted to the plaintiff no. 1, I.D. Pandey by the Delhi Development Authority (DDA) on 04.08.1982.The plaintiff no. 1, was employed at the relevant times with M/s Coal India Ltd. and had raised loan for the purchase of the suit property. The suit property is self acquired property of plaintiff's and they are the absolute owners of the same. The plaintiffs were residing in the suit property since 1989 after taking possession from the DDA and the water, electricity and telephone connections are all in the name of the plaintiff no. 1 and he has been paying for the same to the authorities. Plaintiff no.2 Smt. Maya Pandey being the wife of plaintiff no. 1 remained co-allotee in the suit property.

The defendant Smt. Rekha Pandey is the wife of the eldest son of the plaintiffs, namely, Sanjay Pandey. After their marriage in

November 1995, the plaintiffs allowed them to reside in the suit property only out of love and affection. But, after purchasing a flat bearing no. B-18D, Gangotri Enclave, New Delhi in their joint name they shifted to their own flat for living. The elder son of the plaintiff's Shri Sanjay Pandey was suffering from heart conditions, therefore he again started living in the 'suit property', with the permission of the plaintiff's. He died on 15.12.2009, and after his unfortunate demise, the behavior of the defendant towards the plaintiffs worsened. The plaintiffs are Senior Citizens and suffering from heart related problems and arthritis and the medical condition of the plaintiffs further deteriorated because of the hostile and abusive behavior of the defendant. Under such circumstances, the plaintiffs were compelled to leave their own house and shift to the house of their younger son, at 8 Nilgiri Apartments, Alaknanda New Delhi in December, 2010. The defendant has changed locks of the rooms of the suit property and in February, 2011 when the plaintiffs tried to enter the suit property the defendant did not allow them to enter their home and the plaintiffs were constrained to file a writ petition which is pending before the Hon'ble High Court of Delhi seeking police protection.

The plaintiffs have terminated the permissive user of the property by the defendant in January, 2011 and asked her to hand over the peaceful and vacant possession of the suit property on or before 01.02.2011. The occupation of the defendant of the suit property is illegal and she liable to pay damages @ 20,000/per month which is the prevailing market rate for similarly situated premises. The residential property existing in the name of the defendant is being used by her parental family members. The defendant despite having her own house, continued to be in wrongful occupation of the suit property. Hence the present suit.

***Defendant's Pleadings* :-**

The case as set out in the written statement filed by the defendant is that the defendant was married with the eldest son of the plaintiffs namely Late Sanjay Pandey on 26.11.1995 and out of this wedlock a daughter was born on 10.03.2006. After her marriage she has been subjected to cruelty of all sorts by the plaintiffs and their family members. The plaintiff no. 1 was having meager income and plaintiff no 2 being a house wife was not having any income,

husband of the defendant out of his personal earnings contributed towards the maintenance of the family and meeting the needs of the HUF. The HUF was also appropriating the proceeds of the ancestral property situated in two villages i.e., Bhimapatti and Pirvad, District Buxar, Bihar. Initially the suit property comprised of only two bed rooms and as the problem of space further aggravated after the marriage of the defendant with the eldest son of the plaintiffs, the plaintiff no. 1 forced the father of the defendant for providing financial assistance for the construction of further rooms in the suit property in the year 1995 and the father of the defendant duly obliged considering the gravity of the situation. In this manner the suit property now comprises of four bed rooms. The plaintiff no. 1 besides the suit property purchased three other properties for his remaining sons and a daughter. The fourth property flat bearing no. B-18D, Gangotri Enclave, Alaknanda, New Delhi had been purchased by the defendant and her husband jointly by availing loan from Bank and the father of the defendant. The plaintiff no. 1 did not make any financial contribution towards the purchase of the aforesaid property of the defendant, which has been relinquished by the defendant in favour of her father Shri S.K.Pandey.

During the life time of the husband of the defendant the plaintiff no. 1 and 2 divided the properties between their children as per the oral settlement, and it was mutually agreed that till the life time of the plaintiffs the entire family would stay together in the suit property and after the death of the plaintiffs the same would fall under the share of the eldest son i.e., the deceased husband of the defendant. Thereafter the entire family has been living in the suit premises permanently. However, the death of the husband of the defendant created havoc for her and made her life miserable. By all parameters the suit premises is the matrimonial home and shared house-hold of the defendant. The present suit is therefore liable to be dismissed.

***Plaintiff's Evidence* :-**

In support of the case of the plaintiff's, I.D. Pandey plaintiff no. 1 has examined himself as PW1 and tendered his evidence by way of affidavit. He has relied upon the site plan as **Ex.P.-01,** copies of allotment letter, allotment order and possession certificate issued by DDA in favor of him as **Ex.P.-02, Ex.P.-03** and **Ex.P.-04,**

copy of the office order granting loan as **Ex.P.-05,** letter of DDA adding the plaintiff no. 2 as co-allotee as **Ex.P.-06,** copies of the property tax bills, receipts of MCD, bills issued by the Delhi Jal Board, MTNL and BSES with respect to the suit property as **Ex.P.-07 to Ex.P.-11 (colly.),** application and latter of DDA granting permission for conversion of the the suit property from leasehold to freehold as **Ex.P.-12(colly.)**, cheque and receipts issued in favor of Late Sanjay Pandey, deceased husband of defendant by the MCD for the payment of property tax with respect to another flat no. B-18D as **Ex.P.-13, Ex.P.-14 and Ex.P.-15**. PW-1 has further exhibited copy of letters written by him to the SHO concerned as **Ex.P.-16 (colly.)** and Medical records of the plaintiffs as **Ex.P.-17 (colly.)**, deposit receipts and other documents as **Ex.P.-18 to Ex.P.--28**. The plaintiff no.1 through his affidavit evidence reiterated the assertions of the plaint which are already set out while briefing the facts.

In cross examination PW-1 admitted that one bed room, kitchen, bathroom, drawing-dining, terrace and a store of the suit property is in possession of the defendant. Defendant after her marriage came in the suit property, she continued to live there with her husband and plaintiffs, she gave birth to her daughter from the suit premises, on 10.03.2006. She had never shifted to flat no B-18D purchased by her husband. Two cases have been filed against the defendant by the plaintiffs. In cross examination PW-1 denied the suggestion that defendants have transferred the above house no. B-18D Alaknanda in favor of her father. He has also denied the suggestions that suit property is an HUF property and oral settlement has taken place in which the deceased husband of the defendant (plaintiff's son) got the suit property.

***Defendant's Evidence* :-**

To rebut the case of the plaintiff's, defendant Smt. Rekha Pandey appeared as DW-1. Shri Srikant Pandey, cousin of plaintiff no. 1 as DW2, Surender Kumar Pandey, the father of the defendant as DW4, Babita Khan and Rashmi Arora, friends of the defendant as DW5 and DW3, have also been examined on behalf of the defendant. All these witnesses deposed in support of the case of defendant. Smt. Rekha Pandey DW-1 re-iterated the contents of the written statement which are already set out by briefing the facts in

the earlier part and testified that the suit property has been purchased out of funds of HUF and thereafter by virtue of oral settlement held in the year 2004 fell in to the share of deceased husband of the defendant and after his death the defendant and her daughter are lawful owner of the suit property. Suit property is her matrimonial home where she is entitled to reside in her capacity as the widowed daughter-in-law of the plaintiffs. She being widowed daughter-in-law is entitled to claim shelter commensurate to the social status of the parties and their standard of living from the father-in-law. DW-1 has placed on record ration card **Ex. D-01** in support of the allegation that the suit property is her matrimonial home and shared household.

In cross examination DW-1 admits that suit property was not owned by her husband. Plaintiffs purchased the suit property in their own names. She has further admitted that another property B-18D Gangotri Enclave Alaknanda New Delhi is owned by her and her late husband. However, in cross examination DW-1 has given vague and evasive replies with respect to the present status of ownership of the above property, she says that above property is transferred in favor of her father, but she does not properly remember what documents have been executed for the alleged transfer of the above property. She admits that she has filed a case under The Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005 and a Criminal Case under section 498A of IPC, which are going on in saket courts against the plaintiffs and also have made numerous complaints to police authorities and one complaint to National Commission for Women. She further admits that she is having 3 banks accounts and locker in her sole name.

Babita Khan (DW-5) and Rashmi Arora (DW3) in their cross examinations admit that flat B-18D is not in the possession of the father of defendant, it is lying vacant. These witnesses who are the friends of the defendant and cousin of the defendant Srikant Pandey (DW2) admit in there cross examination that defendant is doing small business of event management and works as coordinator. Previously she worked with SKODA Auto which she left in 2006 close to the birth of her child. Surender Kumar Pandey, DW-4 the father of the defendant admits in cross examination that he have seen the title documents in respect of suit property, they are in the name

of the plaintiffs. He further admits that he does not possess any title documents in respect of another flat B-18D.

***Arguments of Plaintiff* :-**

The Ld. counsel for the plaintiffs argued that by reliable documentary evidence plaintiffs prove that suit property is their self acquired property and they are the absolute owner of it. Plaintiffs have terminated the permissive user of the defendant in January 2011 and asked her to handover vacant possession within 30 days but defendant has failed. The suit property because of such permissive possession did not become a shared household in terms of the provisions of The Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005. Permissive possession can not create any right in favor of the defendant under section 19 of Hindu Adoption and Maintenance Act. Defendant can assert her rights against the property of her husband which is flat no. B-18D, Gangotri Enclave Alaknanda, which is her matrimonial home, she can not claim living in the suit property which is the house of parents of her husband (Plaintiffs), against their wishes. The defendant has made deliberate attempt to relinquish her ownership regarding flat no B-18D so as to give an impression that she has no roof above her head except the suit property. The defendant is working and having bank accounts in her sole name. She is having sufficient means of livelihood. The plaintiffs are entitled to get possession of the suit property and mesne profit from the defendant. It has been further argued that it is necessary to restrain the defendant from entering the suit property and creating any third party interest in the same.

***Arguments of Defendant* :-**

The Ld. Counsel for the defendant argued that the suit property is an HUF property. There was an oral settlement where by the deceased husband of the defendant (plaintiff's son) got the suit property. As the defendant relinquished the ownership of flat no. B-18D, she has no roof above her head in case she is not permitted to continue to reside with her minor daughter aged about 11 years, in the suit property. Suit property is matrimonial home of the defendant. The suit property is a shared household in terms of the provisions of The Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005 on 19 of Hindu Adoption and Maintenance Act. A widowed-daughter-in-law is entitled to claim maintenance from the father-in-law, as

maintenance would include provision for basic amenities, food, clothing and shelter commensurate to the social status of the parties and their standard of living. She is not possessed sufficient means to maintain herself and her minor daughter from her own earnings or property. The plaintiffs are not entitled to recover possession of the suit property and other reliefs sought for in the suit.

fuEufyf[kr vfHkopuk ,oa lk{; dk vk/kkj ij fook|d fojfpr dh ft;s ,oa lk{; dk fopu djrs gq, lacf/kr fof/k@vf/kfu;e dk lanxr iko/kkuksa dk /;ku esa j[krs gq, fu.kZ; fyf[k;s &

okn/k dk vfHkopu %&

वादीगण द्वारा कब्जा के प्रत्युद्धरण, मध्यवर्ती लाभ एवं स्थायी निषेधाज्ञा हेतु दिनांक 05.10.2011 को वर्तमान वाद इन तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत किया है कि वे मकान नम्बर बी–30डी, गंगोत्री एन्क्लेव, अलकनंदा, नई दिल्ली (जिसे वाद में आगे 'वादग्रस्त संपत्ति' कहा जा रहा है), जिसमें तीसरी मंजिल पर दो कमरे और तीसरे मंजिल के छत के ऊपर दो कमरे और स्टोर तथा एक स्कूटर गेराज है, वादी क0 1 आई0डी0 पाण्डे को दिल्ली विकास प्राधिकरण (डी.डी.ए.) द्वारा दिनांक 04.08.1982 को आबंटित किया गया था। सुसंगत समय में वादी क0 1 मेसर्स कोल इंडिया लिमिटेड में नियोजित था, उसने वादग्रस्त संपत्ति को क्रय करने हेतु ऋण लिया था, अतः वादग्रस्त संपत्ति वादीगण की स्व–अर्जित संपत्ति है और वे उसके आत्यंतिक स्वामी है। वादीगण वादग्रस्त संपत्ति में 1989 से डी.डी.ए. से कब्जा लेने के बाद से रह रहे हैं, पानी, बिजली और टेलीफोन के कनेक्शन वादी क्रमांक 1 के नाम है और वह उनका भुगतान करता है। वादी क0 2 श्रीमती माया पाण्डे वादी क0 1 की पत्नि होकर वादग्रस्त संपत्ति में सह–आबंटिती रही हैं।

प्रतिवादी श्रीमती रेखा पांडे वादीगण के बड़े पुत्र संजय पांडे की पत्नी हैं, नवंबर 1995 में उनके विवाह के उपरांत वादीगण ने उनको प्यार और स्नेह के कारण वादग्रस्त मकान में रहने की अनुमति दी थी, किन्तु फ्लैट क्रमांक बी–18डी, गंगोत्री एनक्लेव, नई दिल्ली (दूसरा फ्लैट) उनके संयुक्त नामों पर क्रय करने के बाद वे अपने स्वयं के मकान में चले गये किन्तु, श्री संजय पांडे हृदय की समस्याओं से पीड़ित थे अतः वे वादीगण की अनुमति से, सपरिवार पुनः वादग्रस्त संपत्ति में रहने लगे। दिनांक 15.12.2009 को उनकी मृत्यु हो गयी उनके दुखद निधन के उपरांत वादीगण के प्रति प्रतिवादी का व्यवहार खराब हो गया। वादीगण वरिष्ठ नागरिक होकर हृदय संबंधित समस्याओं और गठिया रोग से पीड़ित हैं, प्रतिवादी के पक्षद्रोही और गाली–गलौच वाले व्यवहार से उनकी हालत और खराब हो गयी है। इन परिस्थितियों में वादीगण माह दिसम्बर 2010 में, अपना स्वयं का मकान छोड़कर अपने छोटे पुत्र के मकान 8, नीलगिरी अपार्टमेंट अलकनन्दा नई दिल्ली में जाने हेतु विवश हुए। माह फरवरी 2011 में जब वादीगण ने वादग्रस्त संपत्ति में जाने का प्रयास किया तब प्रतिवादी ने उनको घुसने नहीं दिया, वादग्रस्त संपत्ति के कमरों के ताले बदल दिए और वादीगण पुलिस अभिरक्षा हेतु रिट पिटीशन फाइल करने को विवश हुए, जो कि माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित है।

वादीगण ने, प्रतिवादी के द्वारा वादग्रस्त संपत्ति के अनुमत उपयोग को जनवरी 2011 में समाप्त कर, दिनांक 01.02.2011 को अथवा उससे पूर्व शांतिपूर्ण रिक्त आधिपत्य

देने हेतु कहा। वादग्रस्त संपत्ति में प्रतिवादी का कब्जा अवैधानिक है वह समान अवस्थित परिसर हेतु प्रचलित बाजार दर रूपये 20,000 प्रति माह की दर से नुकसानी देने हेतु उत्तरदायी है। स्वयं प्रतिवादी के नाम पर जो आवासीय संपत्ति है उसका उपयोग उसके पैतृक परिवारजन कर रहे है। प्रतिवादी के पास अपना स्वयं का मकान होते हुए भी वह वादग्रस्त संपत्ति के दोषपूर्ण अधिभोग को निरंतरित रखे हुए है। अतः वर्तमान दावा पेश है।

ifro{kh d; vfHkopu %&

प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत जवाबदावा में अभिकथित तथ्य यह है कि उसका विवाह वादी के बड़े पुत्र स्व. संजय पांडे के साथ दिनांक 26.11.1995 को हुआ था। विवाह से 10.03.2006 को एक पुत्री उत्पन्न हुई है। वादीगण और उसके परिजनों द्वारा विवाह के उपरांत उसे तमाम प्रकार की क्रूरताओं के अधीन रखा गया। वादी क्र0 1 की आय कम थी और वादी क्र0 2 गृहणी थी, उसकी कोई आय नहीं थी, प्रतिवादी के पति ने अपनी व्यक्तिगत आमदनी से परिवार के भरण–पोषण तथा संयुक्त अविभाजित परिवार की आवश्यकताओं के प्रति योगदान किया। संयुक्त अविभाजित परिवार के प्रति भीम पट्टी और पीरवद जिला बक्सर, बिहार स्थित दो गॉवों की पैतृक संपत्ति का उपयोग भी हुआ। प्रारंभ में वादग्रस्त संपत्ति में केवल दो शयनकक्ष थे, वादीगण के बड़े पुत्र के साथ प्रतिवादी का विवाह होने के उपरांत जगह की समस्या और बढ़ गयी थी, तब वादी क्र. 1 ने प्रतिवादी के पिता को वित्तीय सहायता करने हेतु वर्ष 1995 में विवश किया कि वादग्रस्त संपत्ति में और कमरों का निर्माण किया जा सके तथा स्थिति की गंभीरता को देखते हुए प्रतिवादी के पिता ने सहायता भी की। इस तरह वादग्रस्त संपत्ति में अब 4 शयनकक्ष हैं। वादी क्र0 1 ने वादग्रस्त संपत्ति के अतिरिक्त अपने अन्य पुत्रों और एक पुत्री के लिए 3 अन्य संपत्तियॉ और क्रय की हैं तथा चौथी संपत्ति बी–18 डी गंगोत्री एन्क्लेव अलकनंदा नई दिल्ली प्रतिवादी और उसके पति द्वारा संयुक्त रूप से बैंक और प्रतिवादी के पिता से ऋण प्राप्त कर क्रय की गयी है। वादी क्र0 1 ने, प्रतिवादी द्वारा उपरोक्त संपत्ति जिसे कि प्रतिवादी द्वारा अपने पिता एस0के0 पाण्डे के पक्ष में त्याग दिया गया है, के क्रय किये जाने में कोई वित्तीय योगदान नहीं दिया था।

वादीगण ने प्रतिवादी के पति के जीवनकाल में अपनी संतानो के बीच मौखिक व्यवस्थापन द्वारा संपत्तियों का विभाजन कर दिया था, तथा आपस में यह तय हुआ था कि वादीगण के जीवनकाल तक संपूर्ण परिवार एक साथ वादग्रस्त संपत्ति में रहेगा और वादीगण की मौत के बाद वादग्रस्त संपत्ति उनके बड़े पुत्र अर्थात् प्रतिवादी के मृत पति के हिस्से में आवेगी। उसके बाद पूरा परिवार स्थायी रूप से वादग्रस्त संपत्ति में रह रहा है। हालांकि पति की मृत्यु ने प्रतिवादी के लिए बहुत कठिनाई पैदा की, उसका जीवन दयनीय हो गया। सभी प्रकार से वादग्रस्त संपत्ति प्रतिवादी का 'वैवाहिक घर' एवं 'साझी गृहस्थी' है। अतः वर्तमान वाद निरस्त किये जाने योग्य है।

oknh x.k dh lk{; %&

वादीगण के मामले के समर्थन में वादी क्र0 1 आई0डी0 पाण्डे ने स्वयं को वा0सा0–1 के रूप में परीक्षित कराया है तथा अपनी शपथपत्रीय अभिसाक्ष्य प्रस्तुत कर नक्शा i:-i-&01, वादी क्र0 1 के पक्ष में डी0डी0ए0 द्वारा जारी आवेदन पत्र, आवंटन पत्र, आबंटन आदेश और कब्जा प्रमाण पत्र i0i0&02] i0i0&03 और i0i0&04, ऋण स्वीकृति के कार्यालयीन आदेश की प्रतिलिपि i0i0&05, वादी क्र0 2 को सह–आबंटिती के रूप में शामिल करने के पत्र i0i0&06, संपत्ति कर के बिलों, दिल्ली नगर निगम की रसीदों, दिल्ली जल बोर्ड, एमटीएनएल एवं बीएसईएस के वादग्रस्त

संपत्ति से संबंधित बिलों i0ih0&07 से i0ih0&11 ¼lefdr½, वादग्रस्त संपत्ति को लीज होल्ड से फ्री होल्ड में परिवर्तित किये जाने संबंधी डीडीए को प्रस्तुत आवेदन पत्र और लेटर i0ih0&12 ¼lefdr½, प्रतिवादी के मृत पति स्व0 संजय पांडे के पक्ष में दूसरे फ्लैट बी–18डी के संपत्ति कर की रसीद और चैक i0ih0&13, i0ih0&14 और प्र0पी0–15 प्रस्तुत किये गये है। वासा–1 ने आगे उसके द्वारा थाना प्रभारी को भेजे गये पत्र i0ih0&16 ¼lefdr½, वादीगण के मेडिकल रिकार्ड i0ih0&17 ¼lefdr½, जमा रसीदों और अन्य दस्तावेंजो i0ih0&18 से i0ih0&28 पर निर्भर किया है। वादी क्र0 1 ने शपथपत्रीय अभिसाक्ष्य द्वारा, वादपत्र में किये गये अभिकथनों, जिनको कि इस निर्णय में तथ्यों के संक्षिप्तीकरण के समय पूर्व में उल्लिखित किया जा चुका है, पुनरूद्धरित किया है।

वासा–1 ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि वादग्रस्त संपत्ति में, प्रतिवादी के कब्जे में एक शयनकक्ष, रसोईघर, स्नानगृह, बैठक एवं भोजन कक्ष, बरामदा और भंडार है। प्रतिवादी विवाह के बाद वादग्रस्त संपत्ति में रहने आई, वादीगण और अपने पति के साथ वहाँ रही, उसने वहीं दिनांक 10.03.2006 को पुत्री को जन्म दिया। वह अपने पति द्वारा क्रय किये गये प्लैट नं. बी–18डी में कभी नहीं गयी। वादीगण द्वारा प्रतिवादी के विरूद्ध दो प्रकरण दायर किये गये है। प्रतिपरीक्षण में वा0सा0–1 ने इस सुझाव को अस्वीकार किया है कि प्रतिवादी ने भवन क्रमांक बी–18डी अपने पिता के पक्ष में अंतरित कर दिया है। उसने इस सुझाव को भी अस्वीकार किया है कि वादग्रस्त संपत्ति हिन्दू अविभाजित संपत्ति है तथा कोई मौखिक व्यवस्थापन हुआ था जिसमें प्रतिवादी के मृत पति (वादीगण के पुत्र) को वादग्रस्त संपत्ति प्राप्त हुई थी।

ifro{kh dh lk{; %&

वादीगण के प्रकरण के खण्डन हेतु प्रतिवादी श्रीमती रेखा पांडे प्रति0सा0–1 के रूप में उपस्थित हुई है। प्रतिवादी की ओर से उसके चचेरे भाई श्रीकांत पांडे, प्रति0सा0–2, उसके पिता सुरेंद्र कुमार पांडे प्रति0सा0–3 तथा दोस्तों बबीता खान और रश्मि अरोड़ा, प्रति0सा0–4 एवं 5 को परीक्षित कराया गया है। उक्त सभी गवाहों ने प्रतिवादी के प्रकरण के समर्थन में अभिसाक्ष्य दी है। श्रीमती रेखा पाण्डे प्रति0सा0–1 ने साक्ष्य में लिखित कथन की अंतरवस्तुओं जो कि तथ्यों के संक्षिप्तीकरण करते समय उल्लिखित किये जा चुके हैं, को पुनरूद्धरित कर अभिसाक्ष्य दी है कि वादग्रस्त संपत्ति हिन्दू अविभाजित परिवार के फण्ड से क्रय की गयी थी तथा उसके बाद वर्ष 2004 में हुए मौखिक व्यवस्थापन में प्रतिवादी के मृतक पति के हिस्से में आयी थी और उनकी मृत्यु के बाद प्रतिवादी और उसकी पुत्री वादग्रस्त संपत्ति की वैध स्वामी है। वादग्रस्त संपत्ति प्रतिवादी का 'वैवाहिक घर' है, जहाँ कि वह वादीगण की विधवा पुत्रवधु की हैसियत में निवास करने हेतु अधिकृत है। विधवा पुत्रवधु होने के नाते वह अपने ससुर से, पक्षकारों की सामाजिक हैसियत और जीवन स्तर के बराबर आश्रय का दावा करने की अधिकारिणी है। प्रति0सा0–1 ने राशन कार्ड प्र0डी0–1 को इन अभिकथनों के समर्थन में प्रस्तुत किया है कि वादग्रस्त संपत्ति उसका वैवाहिक घर एवं साझी गृहस्थी हैं।

प्रतिपरीक्षण में प्रति0सा0क्र0 1 ने यह स्वीकार किया है कि वादग्रस्त संपत्ति उसके पति के स्वामित्व की नहीं थी। वादीगण ने अपने नामों पर उसे क्रय किया था। उसने आगे यह और स्वीकार किया है कि दूसरी संपत्ति प्लैट क्र0 बी–18डी गंगोत्री एन्क्लेव अलकनंदा नई दिल्ली उसके और उसके पति के स्वामित्व का है। यद्यपि प्रतिपरीक्षण में प्रति0सा0–1 ने उपरोक्त संपत्ति के वर्तमान स्वामित्व की स्थिति के बारे में

अस्पष्ट एवं उच्छृंखल उत्तर दिये हैं, उसका कहना है कि उपरोक्त संपत्ति उसके पिता के पक्ष में अंतरित हो चुकी है, किन्तु उसे ठीक से याद नहीं है कि अभिकथित अंतरण के संबंध में क्या दस्तावेज निष्पादित किये गये है। उसने यह स्वीकार किया है कि उसके द्वारा घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत प्रकरण तथा भा0द0वि0 की धारा 498ए के अंतर्गत आपराधिक प्रकरण वादीगण के विरूद्ध साकेत न्यायालयों में चल रहे है तथा उसके द्वारा पुलिस अधिकारियों को अनेक शिकायतें की गई है, एक शिकायत राष्ट्रीय महिला आयोग को भी की गयी है। उसने आगे यह स्वीकार किया है कि उसके अकेले नाम पर तीन बैंक खाते और एक लॉकर है।

बबीता खान (प्रति0सा0क0–5) और रश्मि अरोड़ा (प्रति0सा0–3) ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया कि फ्लैट क0 बी –18 डी रिक्त है। प्रतिवादी के पिता के कब्जे में नहीं है। यह साक्षीगण जो कि प्रतिवादी के मित्रगण है तथा प्रतिवादी का चचेरा भाई श्रीकांत पाण्डे प्रति0सा0–2 प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार करते है कि प्रतिवादी इवेंट प्रबंधन का छोटा व्यापार करती है तथा संयोजक के रूप में कार्यरत है। पूर्व में वह स्कोडा आटो में काम करती थी जिसे उसने संतान के जन्म के समय सन् 2006 में छोड़ दिया था। प्रतिवादी का पिता सुरेंद्र कुमार पांडे, प्रति0सा0–4 प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार करता है कि उसने वादग्रस्त संपत्ति के स्वामित्व के दस्तावेज देखे हैं जो कि वादीगण के नाम पर है। वह आगे यह और स्वीकार करता है कि उसके पास दूसरे फ्लैट क0 बी–18डी के स्वत्व से संबंधित कोई दस्तावेज नहीं है।

rd/ okn/kx.k%&

वादीगण के विद्वान अभिभाषक ने तर्क किये है कि वादीगण ने विश्वसनीय दस्तावेजी साक्ष्य से वादग्रस्त संपत्ति को उनकी स्वअर्जित संपत्ति एवं स्वयं को उसका आत्यंतिक स्वामी होना प्रमाणित किया है। वादीगण ने, प्रतिवादी के रियायती उपयोग को जनवरी 2011 में समाप्त कर 30 दिनों के भीतर रिक्त कब्जा देने हेतु कहा था, किन्तु वह असफल रही। ऐसे रियायती कब्जे से घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के अंतर्गत साझी गृहस्थी नहीं बनती है। हिन्दू दत्तक ग्रहण एवं भरण–पोषण अधिनियम की धारा 19 के अंतर्गत रियायती कब्जे से प्रतिवादी के पक्ष में कोई अधिकार सृजित नहीं होता है। प्रतिवादी अपने अधिकारों का दावा उसके पति के फ्लैट क0 बी–18 डी, गंगोत्री एन्क्लेव अलकनंदा के संबंध में कर सकती है, जो कि उसका 'वैवाहिक घर' है, वह वादग्रस्त संपत्ति जो कि उसके पति के अभिभावकों (वादीगण) की है में, उनकी इच्छा के विरूद्ध, रहने का दावा नहीं कर सकती है। प्रतिवादी ने जानबूझकर, फ्लैट नं. बी–18 डी का स्वामित्व छोड़ने का प्रयत्न, ऐसी छाप छोड़ने के लिए कि, उसके सिर पर वादग्रस्त संपत्ति के अलावा कोई छत नहीं है, किया है। प्रतिवादी काम करती है उसके अकेले नाम पर बैंक खाते है। उसके पास आजीविका के पर्याप्त साधन है। वादीगण, प्रतिवादी से वादग्रस्त संपत्ति का कब्जा और मध्यवर्ती लाभ प्राप्त करने के अधिकारी है। आगे यह तर्क और किया गया है कि प्रतिवादी को वादग्रस्त संपत्ति में प्रवेश करने तथा उसमें तृतीय पक्ष के हित सृजित करने से रोका जाना आवश्यक है।

rd/ ifro/kh %&

प्रतिवादी के विद्वान अभिभाषक ने तर्क किये है कि विवादित संपत्ति संयुक्त अविभाजित परिवार की संपत्ति है। प्रतिवादी के पति (वादीगण के पुत्र) को विवादित संपत्ति प्राप्त होने के संबंध में एक मौखिक व्यवस्थापन हुआ था। क्योंकि प्रतिवादी ने फ्लैट क0 बी–18डी का स्वामित्व त्याग दिया है, अतः यदि उसे अपनी अवयस्क पुत्री उम्र

लगभग 11 वर्ष के साथ वादग्रस्त संपत्ति में निरंतर निवास की अनुमति नहीं दी जाती है, तब उसके सिर पर कोई छत नहीं है। वादग्रस्त संपत्ति प्रतिवादी का वैवाहिक घर है। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम के प्रावधानों अनुसार वादग्रस्त संपत्ति साझा गृहस्थी है। हिन्दू दत्तक एवं भरण–पोषण अधिनियम की धारा 19 के अनुसार प्रतिवादी उसमें रहने हेतु अधिकृत है। एक विधवा–बहू अपने ससुर से भरण–पोषण प्राप्त करने हेतु अधिकृत है, भरण–पोषण में पक्षकारों की सामाजिक स्थिति और उनके जीवन स्तर के अनुरूप बुनियादी सुविधाओं, भोजन, कपड़े और आश्रय का होना आवश्यक है। उसके पास स्वयं और अवयस्क पुत्री का भरण–पोषण, अपनी स्वयं की कमाई और संपत्ति से करने हेतु पर्याप्त साधन नहीं है। वादीगण, वादपत्र में चाही गई वादग्रस्त संपत्ति के कब्जे के प्रत्युद्धरण और अन्य सहायताओं को प्राप्त करने के अधिकारी नहीं हैं।

JUDGMENT WRITING (CRIMINAL)

Q.4 Frame the charge and write a judgment on the basis of the allegations and evidence given here under by analyzing the evidence, keeping in mind the relevant provisions on the concerning law. - 40 Marks

***Prosecution Case* :-**

The prosecution case is that prosecutrix (PW-1) is a child. Mother of the prosecutrix, Smt. Raj Bala handed over a complaint dated 09.08.2014 to SHO PS Naraina, New Delhi District. The gist of facts, as per the complaint are that about 3 (three) years back the accused Lalit Kumar who is the brother-in-law of the younger brother of complainant started giving tuition to the prosecutrix, who was then the student of 10th class. However, instead of giving tuition he used to harass the prosecutrix by saying obscene words and sexually assaulting her. He also used to make her bunk her classes and harass her on mobile. Since 01.08.2014, the prosecutrix started living in the hostel, thereafter the accused again started harassing her by making calls and sending messages (SMS), on her mobile. Due to that reason the prosecutrix is suffering mentally.

On the basis of the FIR lodged by the mother of the prosecutrix a criminal case was registered. During the course of investigation CD containing messages (SMS) from the phone of prosecutrix, but sent to her by the accused, mobile phone, SIM, photocopy of massages, birth certificate, school admission and withdrawal register and CBSE certificate of the prosecutrix were seized. Statements of the witnesses recorded. Statement of the prosecutrix u/sec. 164 Cr.P.C. also got recorded. Accused was

arrested. Call Details Record (CDR) of his seized mobile phone was obtained. After the investigation charge sheet was filed and cognizance of the offence were taken under aforesaid sections, against the accused, by the Special Court constituted under 'POCSO Act'.

***Defence Plea* :-**

Accused denied the charges, pleaded not guilty and claimed to be tried. He stated that he was falsely implicated as there was some property dispute going on between Shri Dushyant (JIJA) of accused, Smt. Raj Bala mother of victim and other family members of their family. No such act took place. He was a fine student and at moment employed with Government of India.

***Evidence for prosecution* :-**

To prove its case prosecution examined as many as eight witnesses:-

Prosecutrix (PW 1) deposed that her father had expired and she is living with her mother and one elder sister at the house of her four maternal uncles (MAMA) at Naraina, who were also residing in the same house. Accused is the brother-in-law (SALA) of her mama Dushyant. Accused started living with her mama at the same house. He started giving tutions to her. However instead of giving tuition he used to sexually harass her by touching her body with sexual intent. In the year 2010 or 2011 he tried to touch her body and to kissed her. Accused also made her ID on "facebook" social site and used to send her SMS saying "tu vo Mini nahi hai jo pahle thi". Accused compelled her to talk with him on mobile phone. He further used to threatened her not to disclose their relationship to family members and used to say that they will discontinue her studies and will make her marry to someone. But, she disclosed these facts to her cousin namely Lakhan and he disclosed all these facts to the mother of the victim. She further deposed that she got recorded her statement u/sec.164 Cr.P.C. **Ex.P.-01**. As per the victim, her date of birth is 18.05.1997. In cross-examination Prosecutrix (PW 1) admitted that she was residing at Naraina in the house of her maternal uncle, with her mother since the year 2006. Accused is permanent residence of Sonipat, Haryana, he never lived permanently at Naraina. She has

not complained to any one about the alleged incidents of the year 2010-11.

Shri Sandeep Kumar (PW 2) deposed that prosecutrix (PW1) is his sister-in-law (SALI). On 25.09.2014 nothing happened and IO on his own written the said date. Instead, after making the complainant to the police by the mother of the prosecutrix on 09.08.2014, he went to the Police Station with the mother of the victim on 28.09.2014 or 29.09.2014 and handed over a CD to the police containing messages from the phone of the prosecutrix send by the accused. IO seized the said CD **Article-1** vide seizure memo **Ex.P.-02**. He also handed over a mobile phone and its SIM card of the prosecutrix which were seized by IO vide seizure memo **Ex.P.-03** and **Ex.P.-04.** He has also given the photocopy of the messages (SMS) to the police which were seized by memo **Ex.P.-05** (**colly**). When the sealed pullanda containing the seal of the Police was opened, then witness stated that it is not the same CD which was handed over by him to the IO. Police did not retrieved/collected the Call Details Record (CDR) of mobile number 9716928590, of the victim, for the period January, 2010 to December, 2011. Instead of collecting the CDR for the said relevant period, police collected the CDR of the mobile phone no. 9255909009 of the accused for the period 2014. The brother-in-law (JIJA) of the accused i.e. mama of victim was informed about the messages sent by the accused to the prosecutrix, but he paid no heed.

Smt. Raj Bala (PW 3), mother of the victim, deposed that after the death of her husband she started living with her brothers. Accused is brother-in-law (SALA) of one of his brothers namely Dushyant. Accused stayed with Dushyant for some time in the year 2010-11. She came to know about the incidents when her daughter got admitted in a GNM Course and started living in hostel. Before that the accused started harassing victim when she was studying in class 10th. At that point of time witness had gone her native village for repairing of ancestral house for two months. In that period accused started teaching the victim. Instead of teaching he used to touch her, kiss her and also used to caught hold of her. On one day witness has herself seen that accused held the hand of her daughter in the staircase. The matter was told to brother Dushyant who slapped the accused but accused had not mended his ways. On some

occasions, accused made the victim bunk her school. When victim took admission in GNM Course and started residing in the hostel, since 01.08.2014 accused again started harassing her on telephone. This fact was told by victim to one Lakhan (son of the mausi of victim) by accused. This Lakhan further told these facts of harassment of victim in hostel to this witness. When accused came to know about this he started threatening the witness of dire consequences. A complaint to this effect was lodged which is **Ex.P.-06.** The messages are already there in CD. She gave the birth certificate **Ex.P.-07** of her daughter to the police/IO which was seized vide **Ex.P.-08.** She had also given the certificate of 10th class **Ex.P.-09** which was seized by police vide **Ex.P.-10**. She had given CD, mobile phone, SIM card and photocopy of messages to the police which were seized when she went to police station with Sandeep Kumar (PW-2).

Lakhan (PW 4) deposed that on 31.07.2014 prosecutrix had gone to hostel as she was admitted to GNM Course. Next day on 01.08.2014 he received a telephonic call from victim in which she told that accused had again started harassing her. He was told by her that accused is forcing her to talk with him. Witness told this fact to his mother and the mother of the victim. The entire family put this matter to uncle Dushyant. No action was taken by uncle Dushyant. FIR was lodged. He prepared a CD containing SMSs from the mobile phone of the victim and also copied the messages from facebook account of prosecutrix.

Shri Ranbeer Singh (PW 5), Principal of the School of the prosecutrix has proved the copy of admission and withdrawal register as **Ex.P.-11**. As per the said record, the date of birth of victim is recorded as 18.05.1997.

Birmati (PW 6) deposed that on 11.08.2014 she was working as sub inspector of police at PS Naraina. She was handed over the investigation. She met with prosecutrix and her mother in the PS. She tried to record the statement of the prosecutrix, but the mother of the victim had not co-operated. Along with the complaint given by the mother of victim, she also attached photocopies of the messages delivered by the accused. Complainant also produced CBSE certificate of prosecutrix **Ex.P.-09** which was taken into possession vide memo **Ex.P.-10**. On 18.08.2014 the statement of

prosecutrix was recorded. On 19.08.2014 an application was made for recording the statement of prosecutrix u/sec.164 Cr.P.C. The statement of prosecutrix was recorded vide **Ex.P.-01**. She moved an application to obtain the copy of statement. On 25.09.2014 complainant produced one mobile phone make Micromax, having SIM of Reliance and told her that accused had delivered the messages on the aforesaid mobile phone of the prosecutrix, the same were taken into possession vide memo **Ex.P.-03** and **Ex.P.-04** Complainant also produced one CD **Article-1** containing the messages delivered by the accused. The same was taken into possession vide seizure memo **Ex.P.-02**. Complainant also produced photostate copy of messages **Ex.P.-05 (colly)** delivered by accused to the prosecutrix. On 27.09.2014 she moved an application to DCP Office for getting mobile phone call details of accused. She had obtained CDR (call details record) of mobile phone no. 9255909009 marked as **Article-02**.

Lady Constable. Madhu Kumari (PW 7) deposed that on 14.08.2014 she was posted as Constable in PS Naraina. Complainant Raj Bala produced the certificate of CBSE of victim which was seized by IO vide seizure memo.

Puneet Arora (PW 8), AAO, SKR Public School, Inderpuri (school of victim) proved the photostate copy of birth certificate of victim as **Ex.P.-07 (C)**. Witness has proved School leaving certificate as **Ex.P.-12**, copy of admission form as **Ex.P.-13**. copy of admission register showing the admission of prosecutrix at serial no. 1179 through as **Ex.P.-11 (C)** and certificate issued by Principal of the school as **Ex.P.-14.**

Evidence for defence **:-**

Accused led defense evidence in which he examined his, brother-in-law (JIJA) Shri Dushyant Kumar as (DW1) of accused. He deposed that he is employed with Delhi Police as Constable and posted at PS Palam Airport. Complainant was residing with her daughters with him i.e. at the same house, since the year 2006. Accused is his brother-in-law (SALA) he is a permanent resident of Sonipat, Haryana. Accused never lived in Delhi, permanently in the house of the witness. The complaints made by the victim or her mother are false as there is property dispute and complainant wants to grab his property. It is stated that he had made various complaint

against the complainant Smt. Raj Bala with PS Naraina which are Ex.D.-1 to Ex.D.-4. He further stated that date of birth of victim is 18.04.1995.

***Arguments of Prosecutor* :-**

It is argued by the Learned Special Public Prosecutor for State that the POCSO Act being Special Act, which is enacted to protect minor children from sexual exploitation, and if an incumbent is slapped with the said charge, the approach of the Court, in such matters is required to be pragmatic. Ld. Special Public Prosecutor has further argued that as far as the acts of sexual harassment in the year 2010-11 and later on in the year 2014 are concerned, they are fully supported by all the prosecution witnesses, it has been argued in alternative by him that though even if provisions under the POCSO Act and Sections 354A and 354D of IPC are not attracted the offence u/sec.354 IPC is made out against accused, beyond reasonable doubt about the incidents which occurred in the year 2010-11.

***Arguments of Defence Counsel* :-**

It is argued by the Ld. counsel for accused that the victim had narrated two incidents i.e. some incidents which occurred in the year 2010-2011 and later on the incident of harassment through electronic messages in the year 2014. It is stated that in the year 2010-2011, the POCSO Act and sections 354A and 354D of IPC were not in force, hence the allegations of the victim does not attract the POCSO Act and provision under the said sections of the IPC. It has also been argued by the Ld, Counsel of the accused that as far as the offence in the year 2014 i.e. the offence of harassing the victim through electronic messages is concerned, no proper investigation is done in this regard, by the Police. It is argued that messages are not a proved document since it is not supported with certificate, as required u/sec.65-B of Indian Evidence Act. The CDR with respect to mobile no. 9255909009 does not relate to the accused. The victim was unable to show reasons for not reporting to the police with regard to the matter of the year 2010-11. There remains a property dispute between the MAMA and mother of the victim. In the circumstances of the case. Complaint Ex.P.-6 cannot be relied upon, since the same is manipulated complaint.

uhp fn;s x;s vfHk;ktu d ekeys d vk/kkj ij vkjksi fojfpr dj rFkk uhp fn;s x;s rF;ksa] lk{; o rdksZ d vk/kkj ij fopkj.kh; fcUnq cukdj] ,d ldkj.k fu.kZ; fyf[k;s &

vfHk;ktu dk i:dj.k %&

अभियोजन प्रकरण यह है कि अभियोक्त्री (अ0सा0 01) बालक है। अभियोक्त्री की माता श्रीमति राज बाला द्वारा दिनांक 09.08.2014 को थाना प्रभारी आरक्षी केंद्र नारायणा, जिला न्यू दिल्ली को एक शिकायत दी गई। शिकायत के अनुसार तथ्यों का सार इस प्रकार है कि लगभग 3 (तीन) वर्ष पहले, जब अभियोक्त्री दसवीं कक्षा की छात्रा थी, अभियुक्त ललित कुमार जो कि शिकायतकर्ता के छोटे भाई का साला है, ने उसे ट्यूशन देना प्रारंभ किया। तथापि ट्यूशन देने की बजाय वह अश्लील शब्द कहकर एवं लैंगिक हमला कर अभियोक्त्री को उत्पीड़ित करता था। वह उसकी कक्षा छुड़वाता था और उसे मोबाइल पर प्रताड़ित करता था। दिनांक 01.08.2014 से अभियोक्त्री ने छात्रावास में रहना प्रारंभ किया, उसके बाद अभियुक्त उसे पुनः, उसके मोबाइल पर कॉल्स कर तथा एस.एम. एस. भेजकर, पुनः उसे प्रताड़ित करना प्रारंभ किया। इस कारण से अभियोक्त्री मानसिक रूप से प्रताड़ित हुई है।

अभियोक्त्री की माता द्वारा दर्ज कराई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट के आधार पर आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध हुआ। विवेचना के दौरान अभियोक्त्री के मोबाइल फोन पर, अभियुक्त द्वारा भेजे गए संदेशों (एसएमएस) की सी0डी0, मोबाईल फोन, सिम, संदेशों की फोटोकॉपी, अभियोक्त्री के जन्म प्रमाण पत्र, स्कूल का दाखिल–खारिज रजिस्टर एवं सीबीएसई प्रमाण पत्र जब्त किये गये। साक्षियों के कथन लेखबद्ध किए गए। द0प्र0सं0 की धारा 164 के अंतर्गत अभियोक्त्री का कथन भी लेखबद्ध किया गया। अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। उसके जब्त मोबाईल फोन की कॉल डिटेल्स रिकॉर्ड (सीडीआर) प्राप्त किए गए। विवेचना के उपरांत अभियोगपत्र प्रस्तुत किया गया और 'पाक्सो अधिनियम' के अंतर्गत स्थापित विशेष न्यायालय द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध उपरोक्त वर्णित अपराधों का संज्ञान लिया गया।

ifjf{kr vfHkoksd %&

अभियुक्त द्वारा आरोप अस्वीकार किए गए तथा विचारण चाहा गया। उसने यह अभिकथित किया है कि उसके जीजा दुष्यंत एवं पीड़ित की माँ श्रीमति राजबाला और उनके परिवार के अन्य सदस्यों के मध्य साम्पत्तिक विवाद रहा है अतः उसे झूठा फँसाया गया है। कोई घटना नहीं हुई थी। वह एक अच्छा विद्यार्थी रहा है और वर्तमान में भारत सरकार में नियोजित है।

vfHk;ktu dh lk{; %&

अभियोजन ने अपने पक्ष समर्थन में आठ साक्षीगण को परीक्षित करवाया है :–

अभियोक्त्री (अ0सा0 1) ने अभिसाक्ष्य दी है कि उसके पिता की मृत्यु हो गई है और वह अपनी माता और एक बड़ी बहन के साथ, अपने चार मामाओं के नारायणा स्थित मकान में रहती है, वे भी उसी मकान में रह रहे थे। अभियुक्त उसके मामा दुष्यंत का साला है। अभियुक्त ने भी मामा के साथ उसी मकान में रहना प्रारंभ किया था। वह, उसे ट्यूशन भी देने लगा था। तथापि, ट्यूशन देने के स्थान पर वह उसके शरीर को लैंगिक आशय से छूकर, उसका लैंगिक उत्पीड़न करने लगा। वर्ष 2010 अथवा 2011 में उसने

अभियोक्त्री को छूने और चूमने का प्रयास किया था। अभियुक्त ने ''फेस बुक'' सोशल साईट पर अभियोक्त्री की आईडी भी बनाई थी और वह ''तू वो मिनी नहीं है जो पहले थी'' के एसएमएस भी भेजता था। अभियुक्त ने उसे मोबाईल फोन पर बात करने के लिए विवश किया। वह उनके संबंधों को परिवार के सदस्यों को नहीं बताने के लिए धमकी देता था और कहता था कि वे उसकी पढ़ाई बंद कर किसी अन्य से उसका विवाह कर देंगे। किंतु, उसने लखन नामक अपने मौसेरे भाई को उक्त बातें बताईं और उसने उक्त सभी तथ्य पीड़िता की माँ को उजागर किए। उसने आगे यह अभिसाक्ष्य और दी है कि द0प्र0सं0 की धारा 164 के अंतर्गत उसका कथन i:0ih0&01 लेखबद्ध कराया गया था। पीड़िता के अनुसार उसकी जन्मतिथि 18.05.1997 है। प्रतिपरीक्षण में अभियोक्त्री (अ0सा0 01) ने यह स्वीकार किया कि वह वर्ष 2006 से अपनी माँ के साथ अपने मामाओं के घर नारायणा में रह रही थी। अभियुक्त सोनीपत हरियाणा का स्थाई निवासी है, वह नारायणा में कभी स्थाई रूप से नहीं रहा। वर्ष 2010–11 की अभिकथित घटनाओं के संबंध में उसने कभी किसी को कोई शिकायत नहीं की थी।

श्री संदीप कमार (अ0सा0 2) ने यह अभिसाक्ष्य दी है कि अभियोक्त्री (v0lk0&01) उसकी साली है। दिनांक 25.09.2014 को कुछ नहीं हुआ था और विवेचना अधिकारी ने उक्त तारीख स्वयं लिख ली है। वास्तव में, अभियोक्त्री की माँ द्वारा 09.08.2014 को पुलिस को शिकायत करने के बाद दिनांक 28.09.2014 या 29.09.2014 को वह पीड़िता की माँ के साथ पुलिस स्टेशन गया था और पुलिस को आरोपी द्वारा अभियोक्त्री के फोन पर भेजे गए संदेशों की सी0डी0 प्रदान की थी अनुसंधान कर्ता ने उक्त सी0डी0 vkfV;dy&1 को, जब्ती पंचनामा i:0ih0&02 द्वारा जब्त किया था। उसने अभियोक्त्री का एक मोबाईल फोन एवं उसका सिम कार्ड भी दिया था जिसे अनुसंधानकर्ता ने जब्ती पंचनामा i:0ih0&03 एवं i:0ih0&04 द्वारा जब्त किया था। उसने पुलिस को संदेशों (एसएमएस) की फोटोकॉपी जो कि जब्ती पंचनामा i:0ih0&5 ¼lefdr½ द्वारा जब्त की गई थी, भी दी थी। जब पुलिस की मुहर वाला पुलिंदा खोला गया, तब गवाह ने कहा कि सी0डी0 वह नहीं है, जो उसने विवेचक को सौंपी थी। पुलिस ने अभियोक्त्री के मोबाईल फोन नंबर 9716928590 का जनवरी 2010 से दिसंबर 2011 की अवधि का कॉल डिटेल्स रिकॉर्ड (सीडीआर) निकलवाकर एकत्रित नहीं किया है। उक्त सुसंगत अवधि का सीडीआर एकत्रित करने के स्थान पर पुलिस ने अभियुक्त के मोबाईल फोन नं0 9255909009 का वर्ष 2014 की अवधि का सीडीआर इकट्ठा किया। अभियुक्त के जीजा अर्थात पीड़िता के मामा को अभियुक्त द्वारा अभियोक्त्री को भेजे गए संदेशों की जानकारी दी गई थी, लेकिन उसने कोई ध्यान नहीं दिया।

पीड़िता की माँ श्रीमती राजबाला (अ0सा0 3) ने न्यायालयीन साक्ष्य में बताया है कि अपने पति की मृत्यु के बाद वे अपने भाइयों के साथ रहने लगीं। अभियुक्त उसके दुष्यंत नामक भाई का साला है। अभियुक्त दुष्यंत के साथ वर्ष 2010–11 में कुछ समय रहा था। उसे घटनाओं के बारे में तब पता चला जब उसकी बेटी ने जीएनएम पाठ्यक्रम में प्रवेश लिया और छात्रावास में रहना प्रारंभ किया। इसके पूर्व अभियोक्त्री जब 10 वीं कक्षा में पढ़ रही थी तब अभियुक्त ने उसे परेशान करना प्रारंभ किया था। उस समय साक्षी दो माह के लिए, अपने पैतृक घर की मरम्मत कराने पैतृक गॉव गई थी। उस अवधि में अभियुक्त ने पीड़िता को पढ़ाना शुरू किया था। किंतु पढ़ाने की बजाय वह उसे छूता था, चूमता था और पकड़ता भी था। एक दिन साक्षी ने स्वयं भी देखा था कि अभियुक्त ने उसकी पुत्री का हाथ जीना में पकड़ा था। भाई दुष्यंत को बताने पर उसने अभियुक्त को चांटा मारा था, किंतु अभियुक्त ने कोई सुधार नहीं किया। कुछ मौकों पर,

आरोपी ने पीड़िता का स्कूल भी छुड़वाया। जब पीड़िता ने जीएनएम पाठ्यक्रम में प्रवेश लिया और छात्रावास में रहना प्रारंभ किया, तब दिनांक 01.08.2014 से अभियुक्त ने उसे टेलीफोन पर फिर से प्रताड़ित करना प्रारंभ कर दिया। पीड़िता ने उक्त बातें अपने मौसेरे भाई लखन को बताईं थीं। फिर उक्त लखन ने, पीड़िता को छात्रावास में प्रताड़ित किए जाने की उपरोक्त सभी बातें इस साक्षी को बताईं। इस बारे में पता चलने पर अभियुक्त साक्षी को गंभीर परिणामों की धमकी देने लगा। इस आशय की शिकायत दर्ज करवाई गई जो i:0ih0&06 है। संदेश सी0डी0 में पहले से ही है। साक्षी ने अपनी पुत्री का जन्म प्रमाण पत्र i:0ih0&07 पुलिस/अनुसंधानकर्ता को दिया जिसे i:0ih0&08 द्वारा जब्त किया गया। उसने दसवी कक्षा का प्रमाण पत्र भी दिया जो पुलिस द्वारा i:0ih0&10 से जब्त किया गया। उसने सी0डी0, मोबाईल फोन, सिम कार्ड, तथा संदेशों की छायाप्रतियॉ भी पुलिस को दी थीं जो उस समय जब्त की गई थीं जब वह संदीप कुमार (अ0सा0 02) के साथ थाना गई थी।

लखन (अ0सा0 4) ने न्यायालयीन साक्ष्य में बताया है कि जीएनएम पाठ्यक्रम में प्रवेश मिलने पर अभियोक्त्री दिनांक 31.07.2014 को छात्रावास गई थी। अगले दिन दिनांक 01.08.2014 को उसे पीड़िता का टेलीफोन कॉल प्राप्त हुआ था जिसमें उसने बताया था कि आरोपी ने फिर से उसका उत्पीड़न करना शुरू कर दिया है। उसने बताया था कि आरोपी उसे बात करने के लिए मजबूर कर रहा है। साक्षी ने यह बात अपनी माँ और पीड़िता की माँ को बताई थी। पूरे परिवार ने इस मामले को चाचा दुष्यंत को बताया। किंतु चाचा दुष्यंत ने कोई कार्यवाही नहीं की। प्राथमिकी दर्ज कराई गई। उसने पीड़िता के मोबाइल फोन से एसएमएस की सीडी तैयार की थी तथा अभियोक्त्री के फेसबुक अकाउंट से संदेशों की नकल भी की थी।

अभियोक्त्री की स्कूल के प्राचार्य श्री रणवीर सिंह (अ0सा0 5), ने दाखिल–खारिज रजिस्टर की प्रति को i:0ih0&11 के रूप में प्रमाणित किया है। इस अभिलेख के अनुसार, पीड़िता की जन्म तिथि 18.05.1997 अभिलिखित है।

बीरमती (अ0सा0 6) ने अभिसाक्ष्य दी है कि दिनांक 11.08.2014 को वह आरक्षी केंद्र नारायणा में उप निरीक्षक के पद पर कार्यरत थी। उसे विवेचना सौंपी गई थी। वह अभियोक्त्री और उसकी माँ से पुलिस स्टेशन में मिली थी। उसने अभियोक्त्री का बयान लेने की कोशिश की थी किंतु पीड़ित की माँ ने सहयोग नहीं किया था। पीड़िता की माँ ने शिकायत के साथ अभियुक्त द्वारा भेजे गए संदेशों की छायाप्रतियों को भी संलग्न किया था शिकायतकर्ता ने अभियोक्त्री के सीबीएसई प्रमाण पत्र i:0ih0&09 को भी पेश किया था, जिसे i:0ih0&10 के मेमो द्वारा कब्जे में लिया गया था। दिनांक 18.08.2014 को अभियोक्त्री का बयान दर्ज किया गया। दिनांक 19.08.2014 को द0प्र0स0 की धारा 164 के अंतर्गत अभियोक्त्री का कथन लेख करवाने हेतु आवेदन दिया गया।

अभियोक्त्री के अभिलिखित कथन i:0ih0&01 है। उसने बयान की प्रति प्राप्त करने के लिए आवेदन किया। दिनांक 25.09.2014 को शिकायतकर्ता ने माईक्रोमैक्स कंपनी का एक मोबाइल फोन रिलायंस के सिम के साथ दिया और बताया कि अभियुक्त द्वारा, अभियोक्त्री के उक्त मोबाईल फोन पर संदेश भेजे गये थे, जिनको जब्ती पंचनामा i:0ih0&03 एवं 04 से जब्त किया गया। शिकायतकर्ता ने आरोपी द्वारा भेजे गए संदेशों की एक सीडी vkfVdy&1 भी प्रस्तुत की। जिसे जब्ती मेमो प्र0पी0–2 से कब्जे में लिया गया था। शिकायतकर्ता ने अभियोक्त्री को अभियुक्त द्वारा भेजे गए संदेशो की प्रतिलिपि i:0ih0&5 ¼lefdr½ भी प्रस्तुत की। दिनांक 27.09.2014 को उसने डीसीपी

कार्यालय में अभियुक्त के मोबाइल फोन के कॉल विवरण प्राप्त करने के लिए एक आवेदन दिया। उसने मोबाइल फोन नंबर 9255909009 की सीडीआर (कॉल डिटेल्स रिकॉर्ड) vkfVdy&02 प्राप्त किए थे।

महिला आरक्षक मधु कुमारी (अ0सा0 7) ने न्यायालयीन कथन में बताया है कि दिनांक 14.08.2014 को वह आरक्षी केंद्र नारायणा में आरक्षक के पद पर पदस्थ थी। शिकायतकर्ता राज बाला ने पीड़िता का सीबीएसई का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया था जिसे अनुसंधानकर्ता द्वारा जब्ती ज्ञापन से जब्त किया गया था।

पुनीत अरोड़ा (अ0सा0 8), एएओ, एसकेआर पब्लिक स्कूल, इंद्रपुरी (पीड़िता का स्कूल) ने पीड़िता का जन्म प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि i0ih0 07 ¼lh½ को प्रमाणित किया। साक्षी ने स्कूल छोड़ने के प्रमाण पत्र को i0ih0&12, प्रवेश फार्म की प्रतिलिपि को i0ih0&13, प्रवेश रजिस्टर की प्रतिलिपि जिसमें अभियोक्त्री का प्रवेश क्रमांक 1179 दर्शित है को i0ih0&11 ¼lh½ एवं स्कूल के प्रधानाध्यापक द्वारा जारी प्रमाणपत्र को i0ih0&14 के रूप में प्रमाणित किया है।

cpko lk{; %&

अभियुक्त ने बचाव साक्ष्य प्रस्तुत की है, जिसमें उसने अपने जीजा श्री दुष्यंत कुमार को (ब0सा0 01) के रूप में परीक्षित करवाया है। उसने न्यायालयीन साक्ष्य में बताया है कि वह दिल्ली पुलिस में आरक्षक के पद पर पालम एयरपोर्ट थाने पर पदस्थ है। शिकायतकर्ता अपनी पुत्रियों के साथ, वर्ष 2006 से साक्षी के घर में रह रही थी। अभियुक्त उसका साला है, वह सोनीपत, हरियाणा का स्थाई निवासी है। अभियुक्त दिल्ली में कभी भी स्थाई रूप से साक्षी के घर नहीं रहा है। पीड़िता और उसकी माँ द्वारा की गई शिकायतें झूठी हैं क्योंकि संपत्ति का विवाद है तथा शिकायतकर्ता संपत्ति को हड़पना चाहती है। यह भी अभिकथित है कि साक्षी ने श्रीमति राजबाला के विरूद्ध थाना नारायणा पर अनेकों शिकायतें की हैं जो i0Mh0&01 से लेकर i0Mh0&04 तक हैं। उसने आगे यह और अभिकथित किया है कि पीड़िता की जन्मतिथि 18.04.1995 है।

vfHk;kstd dk rdZ %&

राज्य की ओर से विद्वान विशेष लोक अभियोजक ने यह तर्क किया है कि क्योंकि पॉक्सो अधिनियम एक विशेष अधिनियम है, जिसे कि अवयस्क बच्चों का लैंगिक शोषण रोकने के लिए अधिनियमित किया गया है और यदि अभियुक्त पर कथित आरोप हैं, तब ऐसे मामलों में न्यायालय का दृष्टिकोण व्यावहारिक होना चाहिए। विशेष लोक अभियोजक ने आगे तर्क किये हैं कि वर्ष 2010–11 एवं बाद में वर्ष 2014 में लैंगिक उत्पीड़न का जहाँ तक प्रश्न है, वे समस्त अभियोजन साक्षीगण द्वारा पूर्ण रूप से समर्थित हैं, विकल्प में उनके द्वारा यह तर्क भी किया गया है कि यदि पॉक्सो अधिनियम तथा भा0द0सं0 की धारा 354क एवं 354घ के प्रावधान आकर्षित भी नहीं होते हैं तो भी धारा 354 भा0द0सं0 के अंतर्गत अभियुक्त के विरूद्ध अपराध युक्तियुक्त संदेह के परे वर्ष 2010–11 में घटित हुई घटना के संबंध में बनता है।

cpko vf/koDrk dk rdZ %&

अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि पीड़िता ने दो घटनाओं को वर्णित किया है अर्थात कुछ घटनाएँ जो कि वर्ष 2010–11 में घटित हुईं और बाद में वर्ष 2014 में इलेक्ट्रॉनिक संदेशों के माध्यम से उत्पीड़न की घटना। यह कहा गया है कि वर्ष 2010–11 में पॉक्सो अधिनियम एवं भा0द0वि0 की धारा 354ए और 354डी लागू नहीं थीं,

अतः पीड़िता के आक्षेप पॉक्सो अधिनियम और भा0द0सं0 के प्रावधानों को आकर्षित नहीं करते हैं। विद्वान अभिभाषक द्वारा यह तर्क भी किया गया है कि वर्ष 2014 के अपराध अर्थात् इलेक्ट्रानिक संदेशों के माध्यम से अभियोक्त्री को उत्पीड़ित किये जाने का संबंध है, इस विषय में पुलिस द्वारा उचित अन्वेषण नहीं किया गया है। यह तर्क किया गया है कि संदेश साबित दस्तावेज नहीं है क्योंकि वे भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 65 बी के अंतर्गत अपेक्षित प्रमाण पत्र से समर्थित नहीं है। मोबाईल नंबर 9255909009 के बारे में सीडीआर अभियुक्त से संबंधित नहीं है। पीड़िता वर्ष 2010–11 में मामले की रिपोर्ट पुलिस को नहीं करने के संबंध में कारण बताने में असफल रही है। पीड़िता के मामा और माँ के बीच सांपत्तिक विवाद रहा है। प्र0पी0 06 की शिकायत में भरोसा नहीं किया जा सकता है क्योंकि वह जोड़–तोड़ कर बनाई गई है।

****